



PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148 E-Mail; eeppmgSYchampaWAT@gmail.com

पत्रांक 141/03 PMGSY

दिनांक 02/02/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय:-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.72 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/२६१/२०१५/एफ०सी०/१५०२ दिनांक २४.१०.२०१८ के द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही														
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.72 हे० ग्राम छोड़ा पूर्वी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की जमा की जाने वाली धनराशि दिनांक 23.01.2019 को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। <table><tr><th rowspan="2">फेज</th><th rowspan="2">प्रस्ताव का नाम</th><th rowspan="2">जनपद</th><th colspan="2">देय धनराशि (₹)</th><th rowspan="2">योग (₹)</th></tr><tr><th>एन०पी०वी०</th><th>पथ वृक्षारोपण</th></tr><tr><td>XIV</td><td>धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>2207520.00</td><td>1872629.00</td><td>4080149.00</td></tr></table>	फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि (₹)		योग (₹)	एन०पी०वी०	पथ वृक्षारोपण	XIV	धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग	चम्पावत	2207520.00	1872629.00	4080149.00
फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद				देय धनराशि (₹)			योग (₹)							
			एन०पी०वी०	पथ वृक्षारोपण												
XIV	धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग	चम्पावत	2207520.00	1872629.00	4080149.00											
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि दिनांक 23.01.2019 को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip संलग्न है। <table><tr><th rowspan="2">फेज</th><th rowspan="2">प्रस्ताव का नाम</th><th rowspan="2">जनपद</th><th colspan="2">देय धनराशि (₹)</th><th rowspan="2">योग (₹)</th></tr><tr><th>एन०पी०वी०</th><th>पथ वृक्षारोपण</th></tr><tr><td>XIV</td><td>धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>2207520.00</td><td>1872629.00</td><td>4080149.00</td></tr></table>	फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि (₹)		योग (₹)	एन०पी०वी०	पथ वृक्षारोपण	XIV	धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग	चम्पावत	2207520.00	1872629.00	4080149.00
फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद				देय धनराशि (₹)			योग (₹)							
			एन०पी०वी०	पथ वृक्षारोपण												
XIV	धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग	चम्पावत	2207520.00	1872629.00	4080149.00											
3	शुद्ध वर्तमान दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है।														

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV tec.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	चालान की प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर विभाग की देखरेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है।
6	State Govt. will submit plantation scheme of 7000 trees in degraded forest land with KML file & digital map in lieu of 7.00 ha MDF & VDF in DSS as per guideline dated 08-11-2017	1- MDF & VDF is found in 6.72 ha and therefore Compensatory Afforestation in degraded forest land of 6.72 ha is to be done. Plantation Scheme corresponding to 6.72 ha i.e. 6720 trees has already been uploaded in Online Part I (additional attachment S.no. 3). 2- KML file has already been uploaded in Online Part I, Para L (iv) (c). 3- Digital Map has already been uploaded in Online Part I, Para L (vi). All the above details/documents are also attached in hard copy and soft copy for the convenience.
7	State Govt. will be upload the justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO at Para D (i)	Justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO is attached in hard copy and soft copy.

अतः उपरोक्तानुसार उक्त आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

 अधिशासी अभियन्ता
 सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0) चम्पावत



PMGSY

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148

E-Mail; eepmgssychampawat@gmail.com

पत्रांक553/ 31m.dsy

दिनांक3/06/2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- धौन रोड से बडोली मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग (Online No. FP/UK/ROAD/10485/2015) की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/२६१/२०१५/एफ०सी०/१५०२, दिनांक २४.१०.२०१८ से प्राप्त हुई है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि धौन रोड से बडोली सम्पर्क मार्ग हेतु प्रत्यावर्तित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु काली कुमाऊं वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा, वन ब्लॉक के कक्ष सं० १७ व १८ में ६.७२ हे० चयनित भूमि अवनत वन भूमि है, जो चम्पावत वन प्रभाग की कार्ययोजना वर्ष २०११-१२ से वर्ष २०२०-२१ तक में वर्णित कार्यवृत्त का भाग है, यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया नियंत्रणाधीन है।

संलग्न :- अधिकारिकता प्रमाण-पत्र।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

अधिकारिता प्रमाण – पत्र

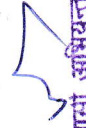
धौन रोड से बडोली सम्पर्क मार्ग हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ,काली कुमाऊँ वन क्षेत्र के पूर्वी छीड़ा वन ब्लाक के कक्ष 17 व 18 में 6.72 है० चयनित अवनत वन भूमि चंपावत वन प्रभाग की कार्ययोजना वर्ष 2011-12 से वर्ष 2020-21 तक में वर्णित कार्यवृत्त का भाग है। यह भूमि वन विभाग के पूर्णतया नियंत्रणाधीन है।


वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चंपावत वन प्रभाग


प्रशासक वन प्रभाग चंपावत

FP/UK/ROAD/10485/2015	ROAD104852015418	6110485418	24 Oct 2018	CA: PCA: Safety Zone: NPV: none : none : none : Total :	1872629/- , 0/- , 0/- , 2207520/- , none : 0/- 0/- 0/- 4080149/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	18 Dec :2018 Corporation :Bank : NEFT/RTGS :(Challan) 22 Dec :2018 23 Jan :2019	Demand Letter Generated Challan
-----------------------	------------------	------------	-------------	--	---	--	---	--	------------------------------------


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत


आधशासी अभियन्ता,
सि०ख०, लो०नि०वि०
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०व्हा०
चम्पावत


प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धौन रोड से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को कराने हेतु वचनबद्ध है।


सहायक अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
चम्पावत।


अधिशाली अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
चम्पावत।

Strip Plantation की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

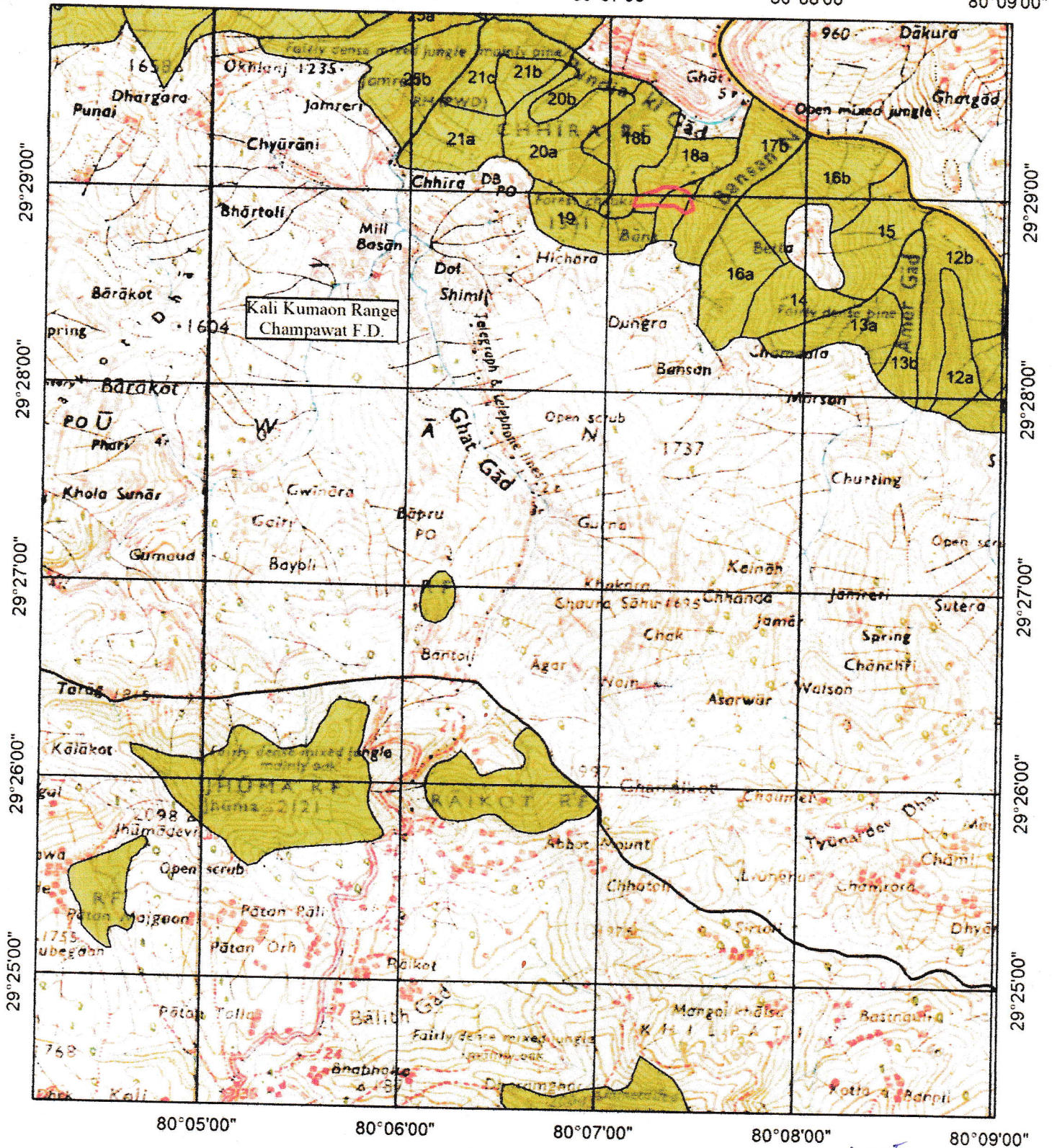
परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित धौन रोड से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण के पश्चात मोटर मार्ग के दोनों किनारों में Strip Plantation प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को कराने हेतु वचनबद्ध है।


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
चम्पावत।


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
चम्पावत।

डिजिटल मैप- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धौन रोड से बड़ौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल-चम्पावत वन प्रभाग के अन्तर्गत काली कुमाऊ रेंज में छोड़ा पूर्वी (अवनत वन भूमि)



Legend

- Proposed_Land
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Range_Boundary
- Division Boundary

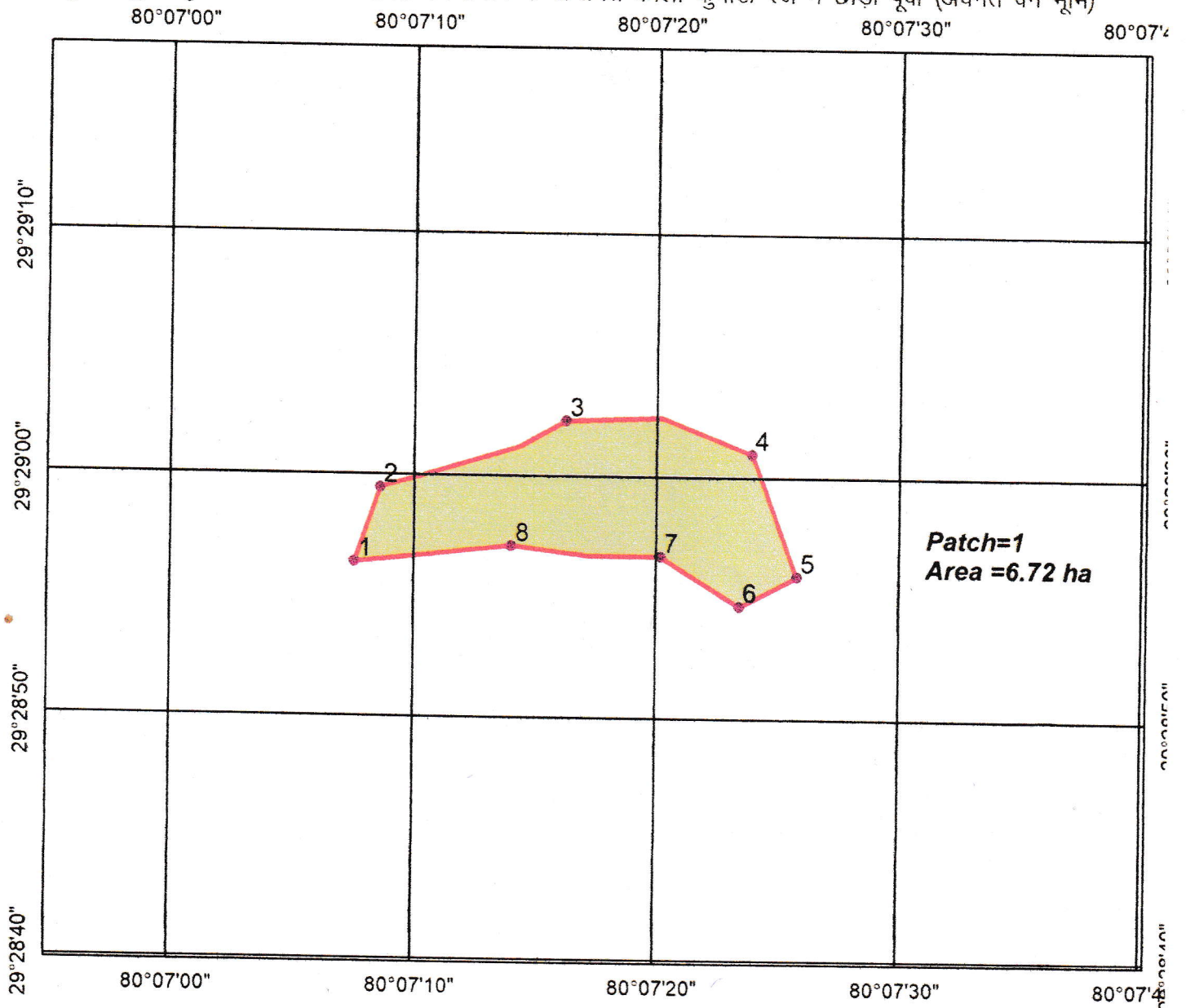


प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊ रेंज
चम्पावत वन प्रभाग

सहायक वन अधिकारी

जियो रैफरेन्स मैप- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धौन रोड से बड़ौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल-चम्पावत वन प्रभाग के अन्तर्गत काली कुमाऊ रेंज में छीड़ा पूर्वी (अवनत वन भूमि)



Legend

- GPS_Points_Badoli
- Proposed_Land

0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30
Kilometers

ID	Longitude	Latitude
1	80° 7' 7.58"E	29°28'56.34"N
2	80° 7' 8.61"E	29°28'59.45"N
3	80° 7' 16.25"E	29°29'2.26"N
4	80° 7' 23.91"E	29°29'0.95"N
5	80° 7' 25.80"E	29°28'55.89"N
6	80° 7' 23.43"E	29°28'54.66"N
7	80° 7' 20.19"E	29°28'56.67"N

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊ रेंज
चम्पावत वन प्रभाग

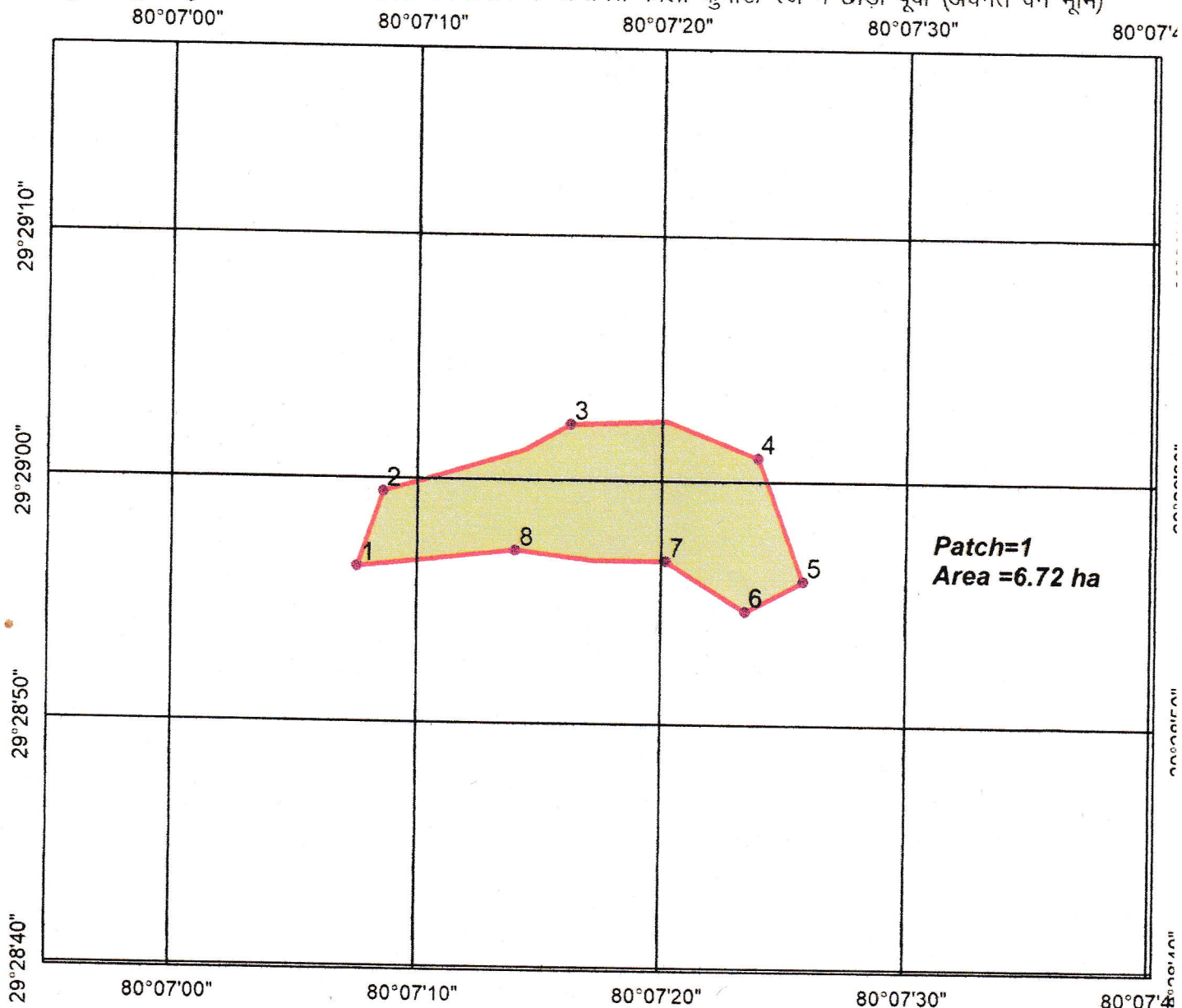
प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

इस क्षेत्र में वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊ रेंज
चम्पावत वन प्रभाग

Engineer
Champaawat Forest Division

जियो रैफरेन्स मैप- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धौन रोड से बड़ौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल-चम्पावत वन प्रभाग के अन्तर्गत काली कुमाऊ रेंज में छीड़ा पूर्वी (अवनत वन भूमि)



Legend

- GPS_Points_Badoli
- Proposed_Land

0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30
Kilometers

ID	Longitude	Latitude
1	80° 7' 7.58"E	29°28'56.34"N
2	80° 7' 8.61"E	29°28'59.45"N
3	80° 7' 16.25"E	29°29'2.26"N
4	80° 7' 23.91"E	29°29'0.95"N
5	80° 7' 25.80"E	29°28'55.89"N
6	80° 7' 23.43"E	29°28'54.66"N
7	80° 7' 20.19"E	29°28'56.67"N

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊ रेंज
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

इ.स.स. वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

आ.स.स. वन अधिकारी
काली कुमाऊ रेंज
चम्पावत वन प्रभाग

Engineer
Champaawat Forest Division



PMGSY

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone - fax 05965-230148 E-Mail: eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक३१९...../०३ पी०एम०जी०एस०वाई०

दिनांक०६...../०८/२०१९

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धौन रोड से बड़ोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ३.३६ हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक ३४३९/FP/UK/ROAD/१०४८५/२०१५, दिनांक १८.०६.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराना है कि विषयगत वनभूमि प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन कर इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं।

यह भी अवगत कराना है कि इस योजना में प्रभावित वनभूमि ३.३६ हे० के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ६.७२ हे० अवनत वनभूमि का चयन किया गया है, जिसमें प्रति हे० १००० वृक्षों के औसत से ६७२० पौधों के वृक्षारोपण का आगणन इस पत्र के माध्यम से संलग्न कर प्रेषित है, वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की kml file पूर्व में ही ऑनलाईन अपलोड की जा चुकी है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत धौन रोड से बडोली मोटर वनभूमि का क्षेत्रफल 6.72 हे0, वृक्षारोपण स्थल -पूर्वी छिड़ा कक्ष सं0 17,18, वन राजि0 चम्पावत रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 6720 पौधे

क्र0सं 0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	2	3	4	5
(01) प्रथम चरण				
1	सर्वे एवं सीमांकन	6.72	116.40	782.21
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	6.72	700.80	4709.38
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 6.72 हे0 = 564.48 घन मी0	564.48	406.80	229630.46
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्रावधान (पूर्ण)	6.72	5000.00	33600.00
5	गड्ढे खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) 1000 प्रति हे0 गड्ढे	6720.00	8.80	59136.00
6	निरीक्षण बटिया बनना	6.72	582.00	3911.04
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	6720.00	8.44	56716.80
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यों पर व्यय		L/S	15000.00
9	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग - प्रथम चरण				423485.89
(02) द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	6720.00	1.38	9273.60
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6720.00	1.38	9273.60
3	पौध दुलान कार्य	6720.00	7.67	51542.40
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	6720.00	2.47	16598.40
5	निराई, गुड़ाई व मल्विंग (दो बार)	6720.00	1.82	12230.40
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सैकड़ा पौधा		L/S	22000.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	6.72	5721.60	38449.15
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों का हटाना प्रति हे0	6.72	420.00	2822.40

क्र०सं 0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	8.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	6.72	270.00	1814.40
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना।			
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	6.72	840.00	5644.80
	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग — द्वितीय चरण				194487.55

(03) तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग — तृतीय चरण				87148.93

(04) चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40

क्र०सं 0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
	योग — चतुर्थ चरण			87148.93

(05) पंचम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
	योग — पंचम चरण			87148.93

(06) षष्ठम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40

क्र०सं 0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
	योग — षष्ठम चरण			87148.93

(07) सप्तम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
	योग — सप्तम चरण			87148.93

(08) अष्टम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ — प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब — प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
	योग — अष्टम चरण			87148.93

(09) नवम चरण

--	--	--	--	--

क्र०सं 0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ - प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब - प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग - नवम चरण				87148.93

(10) दशम चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ - प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब - प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग - दशम चरण				87148.93

(11) एकादश चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40

क्र०सं 0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	2.2 - सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 - वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ - प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब - प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग - एकादश चरण				87148.93
(12) द्वादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.72	8582.40	57673.73
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	6.72	420.00	2822.40
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	6.72	270.00	1814.40
	अ - प्रशिक्षण	6.72	480.00	3225.60
	ब - प्रोत्साहन	6.72	240.00	1612.80
3	अन्य कार्य		L/S	20000.00
योग - द्वादश चरण				87148.93
कुल योग -				1489462.72
कुल योग = 278665.00 X 6.72				1872628.80
Say. Rs. =				1872629.00



सहायक अभियन्ता
सिंधाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पाकट

आध्यात्मिक अभियन्ता,
सि०ख०, लो०नि०वि०
सि०अ०ब०यू०, पी०एम०जी०एस०वाइ०
चम्पाकट

वन सहायक
काली कुमाऊँ रेंज
बम्पावत वन प्रभाग,
चम्पाकट


प्रमाणिक वन अधिकारी
बम्पावत वन प्रभाग बम्पाकट

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/२६१/२०१५/एफ०सी०/1502

दिनांक: 24/10/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्यौन मार्ग से बडोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.36 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1276/X-4-15/1(649)/2015 दिनांक 02.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10485/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्यौन मार्ग से बडोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.36 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.72 है० ग्राम - छीड़ा पूर्वी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit plantation scheme of 7000 trees in degraded forest land with KML file & digital map in lieu of 7.00 ha MDF & VDF in DSS as per guidelines dated 08.11.2017.
7. State Govt. will upload the Justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO at Para D (i).

photo copy attached

★

कमल प्रीत
अधीक्षक

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.72 हे० ग्राम - छोड़ा पूर्वी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 312 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया
24/11/18
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

Photo copy attached
सहायक अभियन्ता
सिंचाई जल, तोलनो
चन्ना

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चम्पावत।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT
Phone – fax 05965-230148
E-Mail; eepmgssychampawat@gmail.com

पत्रांक 199/03 PMGSY

दिनांक 19/02/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत धौन रोड से बडोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.36 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० PF/UK/ROAD/10485/2015)

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक सं० 1364/FP/UK/ROAD/16380/2015, देहरादून, दिनांक 02.12.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में उक्त प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में दी गयी सभी शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस खण्ड के पत्रांक 1141/3 पी०एम०जी०एस०वाई०, दिनांक 02.02.2019 को ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन (हार्ड कॉपी 03 प्रतियां) में प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुनः उक्त प्रकरण की ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन (हार्ड कॉपी 01 प्रति) विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(Signature)

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

o/c

पत्रांक/

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग चम्पावत को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 02/02/2020

(Signature)

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत।

